न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 03 / 2020 दायर दिनांक 09.10..2020

उनवान

1.श्रीमति रामकन्या देवी पत्नी स्व0 जगदीश जी पुरोहित आयु वयस्क निवासी 861 ब्रह्मपोल बाहर मल्लातलाई रोड उदयपुर
2.श्री ललित गौड पिता स्व0 जगदीश जी पुरोहित आयु वयस्क निवासी 861 ब्रह्मपोल बाहर मल्लातलाई रोड उदयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत बामणिया नामान्तरण सं 736, दिनांक 15.7.2015

निर्णय दिनांकः 29.10.2020

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 142 ,143,168,281,282, कुल किता 5 कुल रकबा 1.69 है. श्रीमति धापु बाई पति तेजपाल ब्राहम्ण के नाम खातेदारी हक से अंकित थी और खातेदार श्रीमति धापु बाई का निधन हो जाने से विरासत का खाता खुलवाने के लिए आवेदन दिनांक 09.10.2012 को तहसीलदार कपासन को प्रस्तुत किया गया था व ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया गया था कि धापु बाई का एक पुत्र राधेश्याम दत्तक चला गया है। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जांच कर नामान्तरण स. 763 दर्ज किया गया जिसका विचार की बैठक दिनांक 07.07.2015 के प्रस्ताव स. 3 के अनुसार आगामी कोरम से पेश हुआ और दिनांक 15.7.2015 को धापु बाई के पुत्र व पुत्रियों को विरासत खोला गया परन्तु राधेश्याम जी के दत्तक चले जाने के कारण धापु बाई का पुत्र नहीं रहने के कारण भी उसका विरासत से नाम आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:45 IST.
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया जिससे दुखी होकर मृतक जगदीश लाल की पत्नी एवं पुत्र अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश न्याय एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण की पुस्त पर माना कि राधेश्याम श्रीमति धापु बाई का पुत्र है नामान्तरण में अधीनस्थ न्यायालय को सिर्फ धापु बाई के वारिसान के बारे में ही जांच कर नामान्तरण पर आदेश पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों व कानून को ताक में रखकर राधेश्याम के नाम भी नामान्तरण खोल दिया।

धापू बाई का पुत्र राधेश्याम जो दत्तक चला गया उसके नाम पर भी नामान्तरण खोल कानूनी एवं वाक्याती भूल की है जो निरस्त होने योग्य है व राधेश्याम पुत्र धापु बाई दत्तक चला गया था जिसे प्यारीबाई निवासी दारू ग्राम जिला नीमच ने दत्तक ग्रहण किया था राधेश्याम के प्यारी बाई के दत्तक जाने के बाद प्यारी बाई के समस्त अधिकार हक एवं स्वामित्व राधेश्याम में निहित सारे अधिकार हक स्वामित्व दत्तक ग्रहण होने के बाद समाप्त हो गये।

धापू बाई के पुत्र श्री जगदीश ने उक्त सुचना वर्ष 2012 में पटवारी साहब तथा तहसीलदार साहब को दे दी थी बावजुद इसके धापू बाई के नाम चली आ रही कृषि भूमि में जिनका नामान्तरण हो गये जो वैध नहीं है जिसमे भी अधिनस्थ न्यायालय में उक्त दत्तक के तथ्य को जानते हुए भी उससे अनभिज्ञ रहते हुए उसके नाम से नामान्तरण खोल दिया जो कानूनी एवं वाक्याती भूल है जो निरस्त होने योग्य है व कथित नामान्तरण का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 28.09.2020 को नामान्तरण की नकल लेने से हुआ जिससे उक्त अपील अन्दर अवधी समय पर पेश है।

अतः अन्त मे निवेदन किया कि राधेश्याम ब्राहम्ण को श्रीमति धापू बाई पत्नी तेजपाल के वारिसों में नहीं होने का आदेश प्रदान करावें तथा नामान्तरण संख्या 763 दिनांक :— 15.07.2015 से राधेश्याम का नाम अंकित हो गया है जिसे निरस्त कर हटायें जाने का आदेश प्रदान करावें। इसमें अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार कपासन को जरिये समन तलब किया। तहसीलदार कपासन द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित [illegible] को अपीलान्ट स्वयं सिद्ध करें व अपील अन्दर अवधी बहस नही होने से निरस्त करवाये । वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 142 ,143,168,281,282, कुल किता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुल रकबा 1.69 है. श्रीमति धापु बाई पति तेजपाल ब्राहम्ण के नाम खातेदारी हक से अंकित थी और खातेदार श्रीमति धापु बाई का निधन हो जाने से विरासत का खाता खुलवाने के लिए आवेदन किया था और ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया गया था कि धापु बाई का एक पुत्र राधेश्याम दत्तक चला गया है। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जांच कर नामान्तरण स. 763 दर्ज किया गया जिसकों पंचायत की बैठक दिनांक 07.07.2015 के प्रस्ताव स. 3 के अनुसार आगामी कौरम में पेश हुआ और दिनांक 15.7.2015 को धापु बाई के पुत्र व पुत्रियों को विरासत खोला गया परन्तु राधेश्याम जी की दत्तक चले जाने के कारण धापु बाई का पुत्र नहीं रहने के कारण भी उसका विरासत से नाम आ गया था जो कानूनी रूप से धापू बाई का पुत्र नहीं रहा था क्योंकि धापू बाई ने अपने पुत्र को प्यारी बाई निवासी दारू को दत्तक दे दिया था। धापू बाई का पुत्र राधेश्याम प्यारी बाई के दत्तक गया था जिसकी खाते मे इन्द्राज की नकल आप श्रीमान के अवलोकनार्थ प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है जिस अनुसार राधेश्याम का अपने प्राकृतिक परिवार यानी धापू बाई का पुत्र न रह कर प्यारी बाई का दत्तक पुत्र हो गया था जो दारू ग्राम पंचायत की नकलों में स्पष्ट अंकित है कि "राधेश्याम दत्तक पुत्र प्यारी बाई शंकरलाल जी जाति ब्राह्मण विक्रेता के रूप में 93–94 में अंकित है।

राधेश्याम पुत्र धापू बाई का दत्तक हो जाने से प्यारी बाई निवासी दारू ग्राम नीमच ने दत्तक ग्रहण किया था राधेश्याम के प्यारी बाई के दत्तक जाने के बाद प्यारी बाई के समस्त अधिकार हक एवं स्वामित्व राधेश्याम में निहित हो गये और राधेश्याम के प्राकृतिक सरंक्षक धापू बाई पत्नी तेजपाल जी ब्राह्मण में निहित सारे अधिकार हक एवं स्वामित्व दत्तक ग्रहण होने के बाद समाप्त हो गये। जिसका भी 07.03.1990 की रिपोर्ट पटवारी हल्का में अंकित है जिस अनुसार भी राधेश्याम को धापू बाई पत्नी तेजपाल जी पुरोहित (ब्राह्मण) का पुत्र नहीं माना तथा जो रिपोर्ट पटवारी हल्का की है वह निम्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:45 IST
Reason: SelfAttested

"श्रीमान के आदेश पत्र सं रिल दिनांक 07.0[illegible] पालना में प्रार्थी श्री जगदीशलाल पुरोहित पिता तेजपाल पुरोहित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिलाधीश, उदयपुर के निर्णय दिनांक 30.04.75 के मुताबिक आदेश उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से जानकारी करने पर निम्न तथ्य ज्ञात हुए:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्री जिलाधीश उदयपुर के निर्णय दिनांक 30.04.75 की पालना में डिक्री होकर राजस्त रेकार्ड में तद अनुसार साबिक एवं हाल रेकार्ड मे परिवर्तन नहीं हुआ है।
2. श्री तेजपाल पिता भेरूलाल जी पुरोहित की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान उनकी पत्नी मु. धापू बाई , देवकिशन, जगदीशलाल पिता तेजपाल पुरोहित सा. उदयपुर है।

   नकल जमाबन्दी सं. 2043 व खसरा साबिक नम्बरान् 1558 एवं 1561 की तथा मूल पत्रावली है इसके साथ सलग्न कर अग्रीम कार्यवाही हेतु पेश है।"

   इस तरह धापुबाई के पति श्री तेजपान जी पुरोहित की पुश्तैनी जायदाद में भी राधेश्याम को पुत्र नहीं माना क्योंकि वह धापूबाई एवं उनके पति श्री तेजपाल जी द्वारा राधेश्याम को प्यारीबाई ग्राम पंचायत दारू जिला नीमच को दत्तक दे दिया था।
3. यह कि हिन्दु अधिनियम के अनुसार एक बार प्राकृतिक माता पिता द्वारा अपनी संतान को किसी अन्य को गोद दे दिये जाने पर दत्तक दिये गये व्यक्ति का अपने प्राकृतिक परिवार में किसी भी तरह का हक अधिकार एवं स्वामित्व नहीं रहता है बल्कि उसमे सारे हक एवं अधिकार दत्तक माता पिता के निहित हो जाते है इस तरह राधेश्याम के अपने प्राकृतिक परिवार यानि धापूबाई के अधिकार एवं स्वामित्व में सारे हक एवं अधिकार समाप्त हो गए।
4. यह कि धापू बाई के पुत्र जगदीश की मृत्यु दिनांक 14.08.2015 को हो गई थी जिसके बाद उनकी पत्नी एवं बच्चों को उक्त नामान्तरण बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी परन्तु अभी कुछ समय पुर्व 28.09.2020 को नामान्तरण में दत्तक गये राधेश्याम का नाम भी अंकित हुआ है तब हम प्रार्थीगण द्वारा जानकारी में आते ही उक्त प्रार्थना पत्र आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें विलम्ब का कोई प्रश्न ही नही उठता है क्योंकि हमें इसकी जानकारी नही थी जब हमारे द्वारा नामान्तरण की नकल ली तब ही हमे यह तथ्य ज्ञात मे आया।

अन्त मे वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट ने [illegible] किया कि लिखित बहस को रेकार्ड पर लिया जाकर दिनांक 15.07.2015 को जो नामान्प्तरण खोला गया है उसे निरस्त किया जाकर राधेश्याम का नाम हटाने जाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमनें अपील अपीलान्ट का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई मौखिक व लिखित बहस का मनन किया।

पत्रावली आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत बामनिया द्वारा पारित आदेश (बाबत इन्तकाल संख्या 763 दिनांक 15.7.2015 को) को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक धापू बाई के वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:45 IST
Reason: SelfAttested